प्रेस विज्ञप्ति

17.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मैंगलोर उप क्षेत्रीय कार्यालय ने बेलगावी स्थित कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के संबंध में यल्लप्पा शाम मंगुटकर, शिवानंद दादू कुम्भार और तानाजी शाम मंगुटकर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.12.2025 को माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैंगलोर (विशेष न्यायालय पीएमएलए) के समक्ष अभियोग शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

बेलगावी शहर स्थित सीईएन क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा शिवानंद दादू कुम्भार और यल्लप्पा शाम मंगुटकर के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 406 और 420 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी यल्लप्पा शाम मंगुटकर और शिवानंद दादू कुम्भार ने तानाजी शाम मंगुटकर की मदद से बेलगावी स्थित कई निवेशकों से 31.09 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई थी, जिसका कथित तौर पर इस्तेमाल शिवानंद दादू कुम्भार द्वारा चलाए जा रहे इस्पात और सीमेंट व्यवसाय में किया जाना था, और इसके लिए उन्हें प्रति माह 8% तक की अत्यधिक ब्याज दर का वादा किया गया था।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि आरोपियों ने निवेशकों से मुख्य रूप से नकद में धनराशि जुटाई और ब्याज और मूलधन के वादे का भुगतान न करके उन्हें धोखा दिया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपियों द्वारा निवेशकों के बैंक खातों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का अधिकांश हिस्सा निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

आगे की जांच जारी है।